

फैक्सबिहार सरकार  
विधि विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,  
जमुई ।

पटना, दिनांक 28.09.15

विषय:- जमुई जिला के लिए अपर लोक अभियोजको की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1038/विधि, दिनांक-28.09.2013 के प्रसंग में निदेशानुसार संसूचित करना है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को जमुई जिला के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्ति करते हुए नया पैनल गठित की कृपा की है :-


क्रम सं०	अधिवक्ताओं का नाम	पंजीयन संख्या
1.	श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह	649/69
2.	श्री शक्ति लाल शर्मा	1712/70
3.	श्री लखण भगत	267/79
4.	श्री चन्द्र भानु सिंह	616/82
5.	श्री सत्येन्द्र लाल ताँती	139/84
6.	श्री मो० अलीम उद्दीन अंसारी	192/85
7.	श्रीमती विभा कुमारी	2657/95
8.	श्री कृष्ण मोहन सहाय	547/95
9.	श्री डॉ० पंकज कुमार	399/95
10.	श्री चिगु रवि दास	5439/99
11.	श्री मकेश्वर प्रसाद यादव	1013/95

2. उक्त पैनल की कालावधि तीन वर्षों की होगी। अतएव अनुरोध है कि तीन वर्षों की अवधि पूरा होने के चार माह पूर्व ही नये पैनल का पूर्णगठन करा लिया जाय।

3. इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् पुराना पैनल स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त पैनल अधिवक्ता के सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क ही देय होगा। तथा अन्य पदों पर नियुक्त होकर कार्य करने पर फी एक ही दैनिक शुल्क देय होगा।

4. इस शर्त के साथ की गई है कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी से अपर लोक अभियोजक के सभी शेष 10 पदों पर प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है।

विश्वासभाजन


  
(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:-...S721.../जे०,

पटना, दिनांक:-...28.09.15..

प्रतिलिपि:-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई/लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

  
(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:-...S721.../जे०,

पटना, दिनांक:-...28.09.15

प्रतिलिपि:-माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।